तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ,अजमेर** **दीवानी दावा संख्या–46/2012** **सी.आई.एस संख्या– 508/2014** **सचिन खण्डेलवाल वगैरह बनाम लालचन्द व अन्य** 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

14.10.2025	वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 जा.दी. दिनांकित 23.09.2025 एवं बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. दिनांकित 03.10.2025 सुनी गई। यह दोनो प्रार्थना पत्र एक–दुसरे से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन प्रार्थना पत्रो की बहस में विद्वान अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात अपने आदेश दिनांकित 09.07.2025 द्वारा रिकॉर्ड पर लेकर वादीगण को इनके खण्डन में दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी थी। जिन दस्तावेजो को वादीगण ने सूचना के अधिकार के तहत वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त किशनगढ से प्राप्त किया है। जिस प्रार्थना पत्र की प्रति को ही उन्होने पत्रावली पर प्रस्तुत किया है इन सभी दस्तावेजात पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रमाणित नही होने के आधार पर साक्ष्य में प्रदर्शित कराये जाने की अनुमति नही दी गई थी। ये दस्तावेजात प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के खण्डन में प्रस्तुत किये गये है एवं हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक हेतु आवश्यक है। अतः प्रार्थी वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इन दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिया जावे एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. अस्वीकार कर खारिज किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने जिन दस्तावेजात को प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया है, वे दस्तावेजता सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त नही किये गये है क्योंकि इन दस्तावेजात पर सूचना के अधिकार के तहत जारी किये जाने का कोई अंकन नही है। इसके अतिरिक्त यह दस्तावेजात वाणिज्यिक कर अधिकारी	

किशनगढ द्वारा जारी नही किये गये है। ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त किशनगढ को इन दस्तावेजात को प्रमाणित करने का कोई हक व अधिकार नही है। वादीगण ने गलत आधारो पर प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया है एवं अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल कर इन दस्तावेजो को प्राप्त किया है एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी ने भी बिना किसी हक व अधिकार के इन दस्तावेजो को प्रमाणित किया है जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा पृथक से जांच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायासंगत निस्तारण हेतु आवश्यक भी नही है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर नही लिया जावे एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जावे एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण/वादीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिन दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियों को रिकॉर्ड पर लाना चाहते है उन दस्तावेजात की फोटोप्रतियों को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 13.08.2025 द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जा चुका है। परंतु न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजो को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराये जाने की अनुमति अपने आदेश दिनांकित 16.09.2025 द्वारा वादीगण को प्रदत्त नही की गई थी। वादीगण ने अपने दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियों को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिकॉर्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण का यह कथन कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित प्रतियां इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना आवेदन के जारी की गई है। इस न्यायालय के मत में प्रतिवादीगण इस संबंध में संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर

सकते है। चूंकि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त किशनगढ द्वारा प्रमाणित किया हुआ है। ऐसी स्थिति मे इस न्यायालय के मत में इस स्तर पर इन दस्तावेजो पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नही है। इन दस्तावेजो की सुसंगतता के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 13.08.2025 में आदेशित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचानानुसार प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 जा.दी. दिनांकित 23.09.2025 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिया जाता है एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा 151 जा.दी. दिनांकित 03.10.2025 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक **29.10.2025** को पेश हो।

(संदीप आनन्द)
अपर जिला न्यायाधीश सं.1,
किशनगढ अजमेर